12.6.19

पत्रावली पेश हुई। वकीलगण उपा। मूल वाद में प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाकर मूल वाद खारिज किया [redacted] जा चुका है इस कारण इस प्रार्थना पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर की जाये तथा शामिल मूल वाद हो।

(हस्ताक्षर)